प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं</u>

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 1786 /1995</u>

रामनंदन

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

<u>दांडिक अपील क्रमांक 1787/1995</u>

बुद्धू उर्फ सुखनंदन

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u>

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:</u>

मैं सहमत हूँ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 10/01/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 1786 /1995

अपीलार्थी रामनंदन, पिता- ननसाय, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी- छुरी, थाना- खड़गवां, जिला- सरगुजा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा- थाना प्रभारी, थाना - खड़गवां, जिला- सरगुजा

उपस्थित:

श्रीमती किरण जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

श्री रवींद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

दांडिक अपील क्रमांक 1787/1995

अपीलार्थी बुद्धू उर्फ सुखनंदन, पिता- ननसाय गोंड, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी- छुरी, थाना- खड़गवां, जिला- सरगुजा

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा- थाना प्रभारी, थाना - खड़गवां, जिला- सरगुजा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

उपस्थित:

श्रीमती किरण जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

श्री रवींद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 10 जनवरी, 2012 को पारित)

<u>न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रदत्त:</u>

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़, जिला सरगुजा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 140/1994 में पारित निर्णय दिनांक 19-10-1995 के विरुद्ध, अभियुक्तों/अपीलार्थीओं रामनंदन और बुद्धू उर्फ सुखनंदन ने क्रमशः दांडिक अपील संख्या 1786/1995 और 1787/1995 प्रस्तुत की है।

यह निर्णय दोनों अपीलों के निराकरण को अधिशासित करेगा।

आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अभियुक्तों/अपीलार्थीओं रामनंदन और बुद्धू उर्फ सुखनंदन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

दिनांक 09-10-1993 को प्रातः लगभग 7:00 बजे, अपीलार्थीगण जयलाल (अब मृतक) के साथ विवाद कर रहे थे। विवाद के दौरान वे रामाधार (अ.सा.-1) के घर के सामने पहुँचे, जहाँ अपीलार्थीओं ने मृतक पर लाठी से प्रहार किया। इस घटना के चक्षुदर्शी रामाधार (अ.सा.-1) एवं धनीराम (अ.सा.-10) थे। हमले के पश्चात अपीलार्थी घटनास्थल से फरार हो गए।

ग्राम चौकीदार गुलाब सिंह (अ.सा.-4) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-7) दर्ज कराई तथा मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-9) भी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुँचकर मृतक के शव का शव-पंचनामा (प्रदर्श पी-1) तैयार किया। तत्पश्चात, मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खड़गवां भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. के.एल. बंजारे (अ.सा.-9) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-13) प्रस्तुत किया। उन्होंने शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

(i) चेहरे के बाईं ओर निचले जबड़े पर विदीर्ण घाव (2" ×1" ×1")

(ii) सिर के ललाट भाग के मध्य में विदीर्ण घाव (1" ×1/2" ×1/2"), जहाँ रक्त के थक्के उपस्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) निचले जबड़े के मध्य कृन्तक के दो दाँतों का टूटना।

(iv) बाएँ पैर पर विदीर्ण घाव (1.5" ×1.5" ×1"), रक्त के थक्के उपस्थित।

(v) दाएँ पैर के निचले एक-तिहाई भाग के आंतरिक हिस्से में विदीर्ण घाव (1" ×1/2" ×1/2")

(vi) दाएँ पैर के पिछले-बाहरी भाग में तीन नील (4" ×1")

(vii) दाहिने कंधे एवं दाहिनी ऊपरी भुजा के अग्र-बाहरी भाग में पाँच नील (3.5" ×1/2" ×1/2")

(viii) स्कैपुला (कंधे की हड्डी) के दोनों ओर छह नील (3.5" ×1/2")

चिकित्सक ने मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण सिर की चोट के फलस्वरूप उत्पन्न आघात था तथा मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी।

विवेचना के दौरान, अपीलार्थी बुद्धू उर्फ सुखनंदन का साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक 10-10-1993 को प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-2) दर्ज किया गया तथा उसकी निशानदेही पर एक लाठी (प्रदर्श पी-3) जब्त की गई। अपीलार्थी रामनंदन से भी एक अन्य लाठी (प्रदर्श पी-5) जब्त की गई। घटनास्थल से साधारण मिट्टी एवं रक्तरंजित मिट्टी (प्रदर्श पी-4) जब्त की गई। अपीलार्थी रामनंदन से कमीज एवं लुंगी (प्रदर्श पी-6) भी जब्त की गई। जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया (प्रदर्श पी-10) और विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-11) प्राप्त की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थीओं के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेंद्रगढ़ के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, अंबिकापुर (सरगुजा) को विचारण हेतु उपार्जित किया। वहां से प्रकरण स्थानांतरण पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़ को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण उपरांत अपीलार्थीओं को उपर्युक्त अनुसार सिद्धदोष करते हुए दंडित किया।

3. अपीलार्थीओं की ओर से विदुषी अधिवक्ता श्रीमती किरण जैन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन साक्षी रामाधार (अ.सा.-1) एवं धनीराम (अ.सा.-10) का आचरण अस्वाभाविक है, जिससे अभियोजन की पूरी कहानी संदेहास्पद हो जाती है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलार्थीओं को मृतक द्वारा उकसाया गया था तथा उनके मध्य तीखी गाली-गलौज हुई थी। अतः अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं हैं। यदि अभियोजन के संपूर्ण मामले को सत्य मान भी लिया जाए, तो भी वे अधिकतम भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दंड के भागी हो सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रवींद्र अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीओं को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी सूक्ष्म अवलोकन किया।

6. अभियुक्तों/अपीलार्थीओं की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि, रामाधार (अ.सा.-1), बीगन (अ.सा.-2) एवं धनीराम (अ.सा.-10) के कथनों पर आधारित है, जो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं और जिनके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. रामाधार (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि घटना के दिन, सुबह लगभग 7-8 बजे, वह नाश्ता कर रहा था। उसने कुछ झगड़ा होने का शोर सुना। जब वह घर से बाहर आया, तो उसने देखा कि अपीलार्थीगण मृतक पर लाठी से प्रहार कर रहे थे। भय के कारण और वृद्ध होने के कारण, उसने मृतक का बचाव नहीं किया। मृतक के साथ मारपीट करने के पश्चात, अपीलार्थीगण वहाँ से फरार हो गए।

8. धनीराम (अ.सा.-10) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि घटना की तिथि को प्रातः लगभग 7–8 बजे वह अपनी बाड़ी (अहाते) में हल चला रहा

था। अपीलार्थीओं ने मृतक को खदेड़ते हुए रामाधार (अ.सा.-1) के घर की ओर भगाया और उसके पश्चात उन्होंने मृतक पर लाठी से प्रहार किया। इस प्रहार के कारण मृतक भूमि पर गिर पड़ा। भय के कारण उसने मृतक का बचाव नहीं किया। अपीलार्थीओं के वहाँ से फरार हो जाने के पश्चात वह मृतक के पास गया और उसने देखा कि मृतक के सिर, पीठ तथा पैर में चोटें आई थीं। इस घटना को रामाधार (अ.सा.-1), बीगन (अ.सा.-2) तथा एक अन्य व्यक्ति मोतीराम ने भी देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. बीगन (अ.सा.-2) ने घटना के संबंध में स्पष्ट विवरण नहीं दिया है, तथापि उसने यह कथन किया कि झगड़े की आवाज़ सुनकर वह घर से बाहर आया और देखा कि अपीलार्थीगण एवं मृतक आपस में झगड़ते हुए रामाधार (अ.सा.-1) के घर की ओर जा रहे थे। उसने उन्हें झगड़ा न करने के लिए कहा, जिस पर वे वहाँ से चले गए।

10. घटना के समय रामाधार (अ.सा.-1) की आयु लगभग 60 वर्ष थी। अपीलार्थीगण लाठी से लैस थे। वे मृतक को खदेड़ रहे थे और तत्काल उसके पश्चात उन्होंने मृतक पर लाठी से प्रहार किया। साक्षी रामाधार (अ.सा.-1) एवं धनीराम (अ.सा.-10) का आचरण अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

अपीलार्थीगण लाठी से सुसज्जित थे और उन्होंने मृतक पर घातक हमला किया। ऐसी स्थिति में साक्षियों के मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि यदि वे हस्तक्षेप करते, तो अपीलार्थीओं द्वारा उन पर भी हमला किया जा सकता था। यह अनुमान लगाना अथवा कोई निश्चित राय व्यक्त करना अत्यंत कठिन है कि ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का सामान्य अथवा स्वाभाविक आचरण क्या होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति-विशेष के अनुसार भिन्न हो सकती है। मात्र इस आधार पर रामाधार (अ.सा.-1) एवं धनीराम (अ.सा.-10) की उपस्थिति पर संदेह करना अथवा उनके साक्ष्य को अस्वीकार करना संभव नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अप्पाभाई बनाम राज्य गुजरात, 1988 (सप्ली.) एससीसी 241 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है—

> **"11.** इन सिद्धांतों के आलोक में, अब हम अपीलार्थीओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रथम तर्क पर विचार करते हैं। यह तर्क अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण न किए जाने से संबंधित है। यह निःसंदेह सत्य है कि अभियोजन बस स्टैंड पर घटित घटना के संबंध में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं कर सका

है। वहाँ ऐसे अनेक साक्षी अवश्य रहे होंगे। किंतु मात्र इसी आधार पर अभियोजन के मामले को न तो अस्वीकार किया जा सकता है और न ही उसे संदेहास्पद ठहराया जा सकता है। अनुभव हमें यह स्मरण कराता है कि सभ्य समाज के लोग प्रायः तब भी असंवेदनशील बने रहते हैं जब कोई अपराध उनकी उपस्थिति में ही घटित होता है। वे पीड़ित तथा विधि लागू करने वाली एजेंसियों—दोनों से स्वयं को अलग कर लेते हैं। जब तक अपरिहार्य न हो, वे न्यायालय से दूरी बनाए रखते हैं। वे यह मानते हैं कि सिविल विवादों की भाँति अपराध भी दो व्यक्तियों अथवा पक्षों के मध्य का विषय है और उन्हें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जनसाधारण की इस प्रकार की उदासीनता निःसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु यह ग्रामों, कस्बों एवं नगरों—सभी स्थानों पर विद्यमान है। विवेचना एजेंसी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जिस प्रकार की इस बाधा का सामना करना पड़ता है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अतः न्यायालय को स्वतंत्र साक्षियों के अभाव मात्र के आधार पर अभियोजन के मामले पर संदेह करने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बजाय, अभियोजन की समग्र कथा पर विचार करना चाहिए और अभियुक्त द्वारा सुझाई गई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सत्य के तत्व की खोज करनी चाहिए। न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी गंभीर अपराध के चक्षुदर्शी साक्षी सामान्य ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, न ही उनकी प्रतिक्रिया एकरूप होती है। किसी जघन्य अपराध से भयभीत साक्षी भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में उनका आचरण अपेक्षित आचरण से भिन्न हो सकता है। अतः केवल इस आधार पर कि साक्षियों ने असामान्य ढंग से व्यवहार या प्रतिक्रिया की है, उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।" राणा प्रताप बनाम राज्य हरियाणा, (1983) 3 एससीसी 327 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है—

> "प्रत्येक व्यक्ति जो हत्या की घटना का साक्षी होता है, वह अपनी-अपनी प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। कुछ स्तब्ध होकर निःशब्द खड़े रह जाते हैं। कुछ उन्मत्त होकर विलाप करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगते हैं। कुछ सहायता के लिए चिल्लाने लगते हैं। कुछ स्वयं को घटना स्थल से यथासंभव दूर रखने हेतु वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं कुछ अन्य पीड़ित की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमलावरों पर प्रतिआक्रमण भी कर बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट शैली में प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया का कोई निश्चित या स्वाभाविक नियम नहीं होता। किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर त्याग देना कि उसने किसी विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं की, साक्ष्य का पूर्णतः अवास्तविक एवं कल्पनाशून्य मूल्यांकन करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. रामाधार (अ.सा.-1) एवं धनीराम (अ.सा.-10) के साक्ष्यों की बीगन (अ.सा.-2) द्वारा भी समुचित रूप से पुष्टि की गई है। बीगन (अ.सा.-2) के अनुसार, उसने शोर सुना और वह घर से बाहर आया। उसने देखा कि अपीलार्थीगण और मृतक आपस में विवाद करते हुए रामाधार (अ.सा.-1) के घर की ओर

जा रहे थे। इसके पश्चात, रामाधार (अ.सा.-1) एवं धनीराम (अ.सा.-10) ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि अपीलार्थीओं ने रामाधार के घर के समीप मृतक पर लाठी से प्रहार किया।

13. हमने रामाधार (अ.सा.-1) एवं धनीराम (अ.सा.-10) के साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया है। इन साक्षियों ने सुस्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना की तिथि को अपीलार्थीओं ने मृतक पर लाठी से प्रहार किया था। उनके साक्ष्य की पुष्टि बीगन (अ.सा.-2) के बयानों के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी होती है। चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मृतक की मृत्यु का कारण सिर की चोट के फलस्वरूप उत्पन्न आघात था तथा मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अतः, हमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिलती कि वे अपीलार्थीगण ही थे, जिन्होंने लाठी से मृतक के शरीर पर चोटें पहुँचाईं और मृतक की मृत्यु उन्हीं चोटों के कारण हुई।

15. अपीलार्थीओं की विदुषी अधिवक्ता श्रीमती किरण जैन ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थीओं और मृतक के बीच विवाद हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक द्वारा अपीलार्थीओं को उकसाया गया था तथा उनके मध्य तीखी गाली-गलौज हुई थी। अतः, अपीलार्थीओं का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है और वे केवल धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के दोषी होंगे।

16. अब, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 बनाम धारा 304 के प्रावधानों के आलोक में इस मामले का परीक्षण करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 'दोषपूर्ण मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता' के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों के बीच दंड की मात्रा में अंतर स्पष्ट करती है जहाँ, हत्या कारित करने का आशय उपस्थित था और वह कृत्य 'हत्या' की श्रेणी में आता, यदि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पाँच अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आता हो; और जहाँ अपराध 'दोषपूर्ण मानव वध' है, जिसका अर्थ है कि यह ज्ञान तो था कि मृत्यु एक संभावित परिणाम हो सकती है, किंतु मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने का आशय, जिससे मृत्यु होना

संभावित हो, अनुपस्थित था। धारा 304 का भाग - एक वहाँ लागू होता है जहाँ 'आशय' विद्यमान हो, जबकि द्वितीय भाग वहाँ लागू होता है जहाँ केवल 'ज्ञान' हो। किसी अभियुक्त को धारा 304 के किसी भी भाग के तहत दोषी ठहराने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि मृत्यु धारा 300 के पाँच अपवादों में वर्णित परिस्थितियों में कारित की गई हो, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: गंभीर और अचानक उकसावे के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होना। शरीर या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग। बिना किसी पूर्व-चिंतन के, आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई (आशय बनाम ज्ञान: किसी कार्य के संभावित परिणामों का 'ज्ञान' होना, उस 'आशय' से सर्वथा भिन्न है जो यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट परिणाम सुनिश्चित होना चाहिए। धारा 304 के भाग- एक को आकर्षित करने के लिए 'आशय' एक निर्णायक कारक है, जबकि द्वितीय भाग के लिए 'ज्ञान' आधारभूत कारक है। 'आशय' किसी विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया सप्रयोजन कृत्य है, जबकि 'ज्ञान' वह जागरूकता है जो यह बताती है कि किसी कार्य को करने से एक विशिष्ट परिणाम घटित होने की संभावना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 एससीसी 342** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"**8**. अगला प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा कौन-सा अपराध किया गया है? एक तुच्छ झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने चाकू जैसे हथियार का प्रयोग किया। यह घटना दोपहर लगभग 1:45 बजे हुई। झगड़ा मामूली प्रकृति का था, फिर भी अपीलार्थी ने चाकू चलाया और मृतक के सीने पर प्रहार किया। इन परिस्थितियों में, यह एक अनुमेय निष्कर्ष है कि अपीलार्थी पर कम से कम इस ज्ञान का आरोप मढ़ा जा सकता है कि उसके द्वारा ऐसी चोट पहुँचाने की संभावना थी जिससे मृत्यु हो सकती थी। अतः, यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-**II** के तहत अपराध कारित किया है और पाँच वर्ष के कारावास का दंड न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **सतीश नारायण सावंत बनाम गोवा राज्य, (2009) 17 एससीसी 724** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"**40**. यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि जब हम वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, तो

हम उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत होने में असमर्थ हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घटना से पूर्व कहासुनी हुई थी। घटनास्थल वह निवास स्थान है जहाँ दोनों पक्ष रहते थे और अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक किसी हथियार से लैस था। प्रारंभ में अपीलार्थी-अभियुक्त के पास भी कोई हथियार नहीं था, किंतु घटना के क्रम में वह अंदर गया और एक चाकू ले आया जिससे उसने मृतक पर वार किया। अ.सा.-7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु 'स्टैब इंजरी' (चाकू के घाव) के परिणामस्वरूप हुई थी और अन्य सभी चोटें सतही थीं। अतः केवल चोट संख्या-1 ही घातक थी। तथ्यात्मक रूप से, केवल एक मुख्य चोट पहुँचाई गई थी और वह भी मृतक की पीठ पर मारी गई थी; इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मारने का कोई आशय था या किसी विशेष स्तर की गंभीर चोट पहुँचाने का आशय था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान मामले में, बीगन (अ.सा.-2) के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीओं और मृतक के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और अपीलार्थीओं

ने मृतक को खदेड़ा था। परस्पर विवाद करते हुए अपीलार्थीगण और मृतक रामाधार (अ.सा.-1) के घर की ओर जा रहे थे। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-7) में उल्लेख है कि मृतक 'कर्मा' नृत्य स्थल पर गया था, जहाँ उनके मध्य कहासुनी हुई थी। कर्मा नृत्य एक स्थानीय संस्कृति है जिसमें ग्रामीण एकत्रित होकर समूहों में नृत्य करते हैं। शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-13) के अनुसार, चोटें किसी कठोर और भोथरे वस्तु से कारित की गई थीं, जो इस मामले में लाठी थी (जिसे ग्रामीण सामान्यतः अपने पास रखते हैं)। यहाँ यह स्पष्ट साक्ष्य है कि हमले से पूर्व विवाद और झगड़ा हुआ था। यह तथ्य सिद्ध करते हैं कि अपीलार्थीओं का मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान अवश्य था कि उनके कृत्य से मृत्यु कारित होना संभावित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अतः, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-दो के अंतर्गत दोषसिद्धि के दायी हैं।

22. उपरोक्त कारणों से, दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और सजा अपास्त की जाती है; इसके स्थान पर अपीलार्थीओं को

धारा 304 भाग-II के तहत दोषी ठहराया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलार्थीयों को दिनांक 11-10-1993 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हे दिनांक 01-04-2003 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। वे लगभग 9 वर्ष 5 माह पहले ही कारावास भुगत चुके हैं। हमे लगता है की न्याय के उद्देश्य की पूर्ति तब होगी यदि अपीलार्थीओं को 'पहले से भुगती गई अवधि' के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषसिद्धि की लिए अपीलार्थीओं को 9 वर्ष 5 माह के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है अर्थात वही अवधि जो पहले ही भुगत चुके हैं। वर्तमान में वे जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूतियों को उन्मोचित को किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

सुनील कुमार सिन्हा **आर.एस. शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur